ईमेल द्वारा भी प्रेषित

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र।

पत्रांक– 310 /सोनभद्र/33/दिनांक, रावर्ट्सगंज, अगस्त , 10 2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर, उ0 प्र0।

विषय– **400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में विभिन्न प्रभाग में प्रभावित कुल 319.28है0 वन भूमि के लीज नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ– **आपका कार्यालय पत्रांक– 5465/मी0क्षे0/33 दिनांक 18.06.2020**

महोदय,

उपरोक्त बिषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट पारेषण लाइन के प्रस्ताव में आप द्वारा बिन्दु सं0–1 में लगायी गयी आपत्ति के क्रम में आख्या निम्नानुसार प्रेषित है–

1. यह कि उपरोक्त पारेषण लाइन की लीज समाप्ति की तिथि 22.02.2014 थी।
2. यह कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा लीज नवीनीकरण प्रस्ताव उनके कार्यालय पत्रांक–320/वि0प्रे0ख0II (वा)/दिनांक–14.03.2014 द्वारा इस कार्यालय मे दिनांक–20.03.2014 को प्रस्तुत किया गया।*(संलग्नक–1)*
3. यह कि उक्त प्रेषित प्रस्ताव के क्रम मे आपके कार्यालय पत्रांक–4348/मी0क्षे0/33 दिनांक–30.03.2015 द्वारा समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक–2847/सोनभद्र/दिनांक–12.05.2015 द्वारा समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेंतु प्रयोक्ता एजेन्सी को अवगत कराया गया।
4. यह कि समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक– 1153/वि0प्र0ख0–II (वा)/दिनांक–24.11.2016 द्वारा प्रस्ताव दिनांक 03.12.2016 को प्रस्तुत किया गया, जिसे आनलाइन डाटा इन्ट्री न होने के कारण प्रस्ताव वापस कर दिया गया था। पुनः प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक–3309/ वि0प्रे0ख0II (वा)/दिनांक–27.08.2018 द्वारा पुनः प्रस्ताव इस कार्यालय में दिनांक–30.08.2018 को प्रस्तुत किया गया।*(संलग्नक–2)*
5. पुनः उक्त प्रस्ताव को आपत्ति के साथ दिनांक 04.11.2019 को प्रयोक्ता एजेन्सी को आनलाइन वापस किया गया, तदोपरान्त प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आपत्ति दूर कर दिनांक 13.12.2019 को आनलाइन प्रस्ताव प्रेषित किया गया।
6. यह कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को इस कार्यालय के पत्रांक–2802/सोनभद्र/33दिनांक–26.05.2020 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग ओबरा को समेकित प्रस्ताव हेतु आन लाइन डाटा इन्ट्री के उपरान्त हार्ड कापी प्रस्ताव प्रेषित किया गया।
7. यह कि लीज समाप्ति की तिथि से अब तक लगभग 6 वर्ष 05 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है।

अतः उपरोक्तानुसार लीज नवीनीकरण में 6 वर्ष 5 माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के कारण दण्डात्मक शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि की देयता बनती है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र।

o/c

Pendrive/400 kv anpara-varanasi double circit transmittion line